

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
पो.बा.न. ८९, तेलंगखेडी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001
स्थापना आदेश सं. ५३ /2011
दिनांक 17.10.2011

विषय :- हेड हवालदार की ग्रेड में पदोन्नति, तैनाती एवं स्थानांतरण ।

I. पदोन्नति

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र सं.ए-60011/7/84 प्रशा. II-बी दिनांक 24.08.84 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित, हवालदार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, नागपुर को हेड हवालदार के ग्रेड में रुपये (Old Scale)3050-75-3950-80-4590/-(New Scale) Rs 5200-20200 G.P. Rs. 1900/- के संशोधित वेतमान में, उनके द्वारा उच्च पद का प्रभार ग्रहण करने के तिथि से, पदोन्नति पर कार्य करने के आदेश दिये जाते हैं ।

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती का स्थान
3.	आर बी करडे	प्रभाग- अमरावती
4.	एम एम चांदुरकर	प्रभाग-II(नागपुर)
5.	ए व्ही सपकाल	मुख्यालय -(नागपुर)

- उपर्युक्त अधिकारी दो वर्षों की अवधि के लिये परीक्षाधीन रहेंगे ।
- वे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/1/80-स्था.सी. । दिनांक 26.09.81 के अनुसार एफ आर 22(1)(ए) (1) के सीधे या एफ आर 22(1)(ए)(1) के अंतर्गत प्रारंभिक रूप से तथा तत्पश्चात् नीचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं । एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा । विकल्प प्रस्तुत करने में देरी संबंधी किसी प्रार्थना पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा ।

II. तैनाती एवं स्थानांतरण :

उपर्युक्त अधिकारी अपने नये पद का कार्यभार संबंधित स्थान पर दिनांक 25.10.2011 तक अवश्य संभाले । उक्त अधिकारी, उपर्युक्त आदेश का दिनांक 25.11.2011 तक पालन नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि उन्होंने पदोन्नति अस्वीकार कर दी है और तदनुसार उस अधिकारी के संबंध में पदोन्नति आदेश रद्द कर दिया जायेगा ।

सी बी ई सी के पत्र दिनांक 29.09.2010 के साथ अग्रेषित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.08.2010 के निर्देशों के अनुसरण में स्थापित सेल द्वारा पहले की डीपीसी की पुनर्समिक्षा के परिणाम के अधीन जिसमें अ.जा / अ.ज.जा वर्ग के रोस्टर संबंधित कार्य प्रगती में है जिसके पुनः निरीक्षण के पश्चात् उपरोक्त सूची (नामों में) परिवर्तन हो सकता है । उपरोक्त पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर हुआ है ।


(धीरेन्द्र कुलकर्णी)
संयुक्त आयुक्त (का/प्र)

प.स. II(3)25/2002/स्था.।

नागपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

प्रतिलिपी :-

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर ।
- आयुक्त, आयुक्त (अपील), आयुक्त (टार), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर ।
- अपर/संयुक्त आयुक्त (का/सा), निवारक, लेखा परिक्षा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर ।
- उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रभाग-I/II नागपुर / अमरावती /मंढारा/चन्द्रपुर ।
- अधिक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रेंज-II, अकोला / गडगाव
- मुगतान तथा लेखा अधिकारी/प्रमुख लेखा अधिकारी/सहायक प्रमुख लेखा अधिकारी/अधिक्षक सतर्कता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर ।
- संबंधित अधिकारी । उपरोक्त अधिकारी का ध्यान गृह मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन 22034/32/81 -स्था (डी) दिनांक 1.10.81 के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है । यदि वे पदोन्नति नकारते हैं तो उन्हें अगली पदोन्नति प्रस्ताव संगत तिथि से एक साल तक नहीं दिया जायेगा । संगत तिथि दिनांक 22.01.2008 तय की जाती है । यदि उपरोक्त तिथि तक नकारार्थी जवाब नहीं मिला जो उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह संगत तिथि मानी जायेगी ।
- आयुक्त, के वरिष्ठ निजी सहायक/ अपर आयुक्त (का. एच.सा.)/संयुक्त आयुक्त (लेखा परिक्षा) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय नागपुर के निजी सहायक ।
- स्थापना-II/गोपनीय/सतर्कता/प्रशासन/हिन्दी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय नागपुर
- उपनिदेशक (सतर्कता), निरीक्षण महानिदेशालय, सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पश्चिम क्षेत्रीय एकक-4, श्री मंजिल, दुर्गापोस्ट हाऊस, पुणे स्ट्रीट, मरिजाद, मुंबई - 400 009.
- सचिव, सगुह प्र वरिष्ठ अधिकारी संगठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय नागपुर
- रक्षा मिसिल ।